भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3839**

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

**तमिलनाडु में बैंक शाखाएं खोलना**

†3839.श्री दुरई वाइको:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अलमपट्टीपुधुर और पुदुकोट्टई जिले के अंदाकुलम के निवासियों को उनके निकट सरकारी बैंक शाखाओं के न होने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता के संबंध में जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अलमपट्टीपुधुर और अंदाकुलम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का प्रयास है कि देश के सभी आबादी वाले गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा / व्यवसाय प्रतिनिधि / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता की निगरानी जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप नामक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित एप्लिकेशन द्वारा की जाती है।

जेडीडीडी ऐप के अनुसार, पुदुक्कोट्टई जिले के आबादी वाले सभी 738 और तिरुचिरापल्ली जिले के 441 गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग शाखा उपलब्ध है।

पुदुक्कोट्टई और तिरुचिरापल्ली जिलों सहित तमिलनाडु राज्य की बैंकिंग अवसंरचना इस प्रकार है:

| जिला | शाखा | बी.सी. | एटीएम | आईपीपीबी |
|---|---|---|---|---|
| पुदुक्कोट्टई | 242 | 832 | 293 | 335 |
| तिरुचिरापल्ली | 510 | 1,554 | 872 | 482 |
| तमिलनाडु | 13,169 | 35,724 | 22,907 | 11,755 |

स्रोत: जेडीडीडी ऐप

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्व अनुमति के बिना भारत में कहीं भी बैंक शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कि 25% शाखाएँ बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में हों।

साथ ही, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट्स का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है, जिसकी देखरेख राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार, सदस्य बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से करती है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई के निर्देशों, अपनी व्यावसायिक योजनाओं और उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट्स खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं। बैंकिंग आउटलेट खोलने की व्यवहार्यता का और आगे भी आकलन करने के लिए, बैंक आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करते हैं। ऐसे प्रस्तावों संबंधी आँकड़ें केंद्रीय रूप से संग्रहित नहीं किए जाते हैं।

*****